रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112021-231289 CG-DL-E-22112021-231289

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4429] No. 4429] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 2021/अग्रहायण 1, 1943 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 2021/AGRAHAYANA 1, 1943

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2021

का.आ. 4796(अ)—केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2693(अ), तारीख 5 सितंबर, 2013 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्यांक 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"28	संसद टीवी – राज्य सभा	समाचार और समसामयिकी"

[फा.सं. 15/1/2021-बी.पी.एंडएल.]

संजीव शंकर, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2693(अ), तारीख 5 सितंबर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं॰ का.आ. 3792(अ), तारीख 15 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

6717 GI/2021 (1)

# MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021.

**S.O.** 4796(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, number S.O. 2693(E), dated the 5th September, 2013, namely:-

In the said notification, in Table-I, after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"28	Sansad TV – Rajya Sabha	News and Current Affairs";

[No. 15/1/2021-BP&L]

SANJIV SHANKAR, Jt. Secy.

**Footnote:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2693(E), dated the 5th September, 2013 and was last amended *vide* notification no. S.O. 3792(E) dated the 15th September, 2021.